फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

रामलीलाल बनाम मोती वगैरा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 103 / 2018

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/6/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2022 [illegible] में पेश हुई। [illegible] नहीं हुई। पत्रावली [illegible] दिनांक 30.9.22 [illegible] पेश हो। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
	30/9/22	पत्रावली पेश हो। कार्यवाही [illegible] 30/9/22 पेश हो।
	30/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष द्वारा पावती कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली दिनांक 13/12/22 को पेश हो।
	13/12/22	[illegible] 20/12/22
	20/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु0। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन कोई उप0 नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़